जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण–जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र, पिथौरागढ
फोन : 05964–226326, फै0 : 228050, टोल फ्री : 1077, ईमेल–**ddmapithoragarh@gmail.com**

स्वैच्छिक संगठनों से रूचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण

जनपद पिथौरागढ़ के समस्त तहसीलों/विकासखण्डों के प्रत्येक ग्राम एवं स्कूलों में आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षण, जन जागरूकता और मॉकड्रिल अभ्यास करवाने तथा ग्राम एवं स्कूलों की आपदा प्रबन्धन कार्ययोजनाऐं तैयार करने तथा युवक मंगल दल एवं महिला मंगल दल को प्रशिक्षण दिये जाने आदि कार्यो हेतु जनपद पिथौरागढ़ में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों/संस्थाये जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत हों, जिनके पास आपदा प्रबन्धन सम्बन्धी कार्यो का कम से कम 02 वर्षो का अनुभव हो तथा उपरोक्त कार्यो हेत न्यूनतम 04 प्रशिक्षित एवं अनुभवी मानव संसाधन, एवं प्रशिक्षण जनजागरूकता में सहायक उपकरण उपलब्ध हों, से रूचि की अभिव्यक्ति के प्रस्ताव जनपद की प्रत्येक तहसील/विकासखण्ड हेतु पृथक–पृथक कार्य करने हेतु आमंत्रित किये जाते है। सामान्यतः एक स्वैच्छिक संगठन को मात्र एक तहसील/विकासखण्ड ही आवंटित किया जायेगा। अतः आवंटित तहसील/विकासखण्ड का नाम की अभिव्यक्ति के प्रस्ताव में उल्लेख किया जायेगा।

उपरोक्त विषय पर रूचि की अभिव्यक्ति हेतु जानकारियॅा एवं प्रपत्र जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण पिथौरागढ़ के कार्यालय से दिनांक 23.01.2018 से 01.02.2018 को सायं 3.00 बजे तक प्राप्त कर दिनांक 01.02.2018 की सायं 05.00 बजे तक जमा किये जा सकते है, अथवा जनपद की NIC वेबसाईट www.pithoragarh.nic.in के आपदा प्रबन्धन–रूचि की अभिव्यक्ति/ Disaster Management Expression of Interest से डाउनलोड की जा सकती है। रूचि के अभियुक्ति के प्रस्ताव हेतु **शुल्क 500 रू0 +जीएसटी 90 रू0 =कुल 590 रू0** आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण पिथौरागढ़ को डाक/कैश के माध्यम से देय होगा।

उपरोक्तानुसार गैरसरकारी संस्थाऐं/संगठन निम्नलिखित विवरणों को संलग्न करते हुये रूचि की अभिव्यक्ति के प्रस्तुतीकरण हेतु निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेजों/प्रपत्रों तथा न्यूनतम 4 प्रशिक्षकों सहित दिनांक 02. 02.2017 को प्रातः 11.00 बजे जिला कार्यालय पिथौरागढ़ में चयन एवं समन्वयन समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होंगे। संस्थाओ के चयन हेतु निम्नलिखित दस्तावेज एवं शर्ते आवश्यक होगी।

1. सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र आवश्यक है।
2. विगत 03 वर्षो के कार्यो की ऑडिटेट रिपोर्ट आवश्यक है।
3. स्वैच्छिक संगठन का आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षण सम्बन्धी अभ्यास एवं जनजागरूकता आदि के क्षेत्र में किये गये कार्यो का न्यूनतम 02 वर्षो का अनुभव संलग्न किया जाये अनिवार्य है।
4. सामान्यतः 01 स्वैच्छिक संगठन मात्र एक तहसील अथवा विकासखण्ड में ही कार्य कर सकेगा इस हेतु इच्छुक तहसील/विकासखण्ड का नाम दिया अनिवार्य हैं।
5. स्वैछिक संगठनों द्वारा अपने पास उपलब्ध विषय 04 प्रशिक्षकों को जो आपदा प्रबन्धन, विद्यालय स्तरीय मॉकड्रिल, जनजागरूकता, भूकम्प सुरक्षित निर्माण, प्राथमिक चिकित्सा आदि विषयों पर प्रशिक्षित हों को शैक्षिक एवं कार्य अनुभव के प्रमाण पत्रो सहित प्रस्तुतीकरण कराया जायेगा।
6. संस्था के पास उपलब्ध प्रशिक्षण जनजागरूकता हेतु आवश्यक उपकरण जैसे–कम्प्यूटर, लैपटॉप, ऑडियो विजुवल ऐड्स, सामान्य खोज बचाव उपकरण आदि का विवरण भी दिया जायेगा।
7. स्वैछिक संगठनों के पास रू0 5 लाख प्रतिवर्ष की कार्ययोजनाओं के वित्तीय क्रियान्वयन का अनुभव को तथा सरकारी एवं अन्य वितितीय संथाओं से प्रदत्त सहायता से संचालित कार्यो का अनुभव हो संलग्न किया जाये।
8. ऐसे गैर सरकारी स्वैछिक संगठन जिन्होंने जनपद आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में अथवा आपदा न्यूनीकरण प्रबन्धन केन्द्र या अन्य सरकारी संस्थाओं के साथ पूर्व में कार्य किया हो को प्राथमिकता दी जा सकती है इस हेतु प्रमाण पत्र/इकरारनामा/कार्यादेश संलग्न किये जाये।
9. सभी प्रकार के प्रमाण पत्र एवं दस्तावेजो की छाया प्रतियॅा हस्ताक्षरित एवं प्रमाणित हों।
10. स्वैच्छिक संगठनों के चयन हेतु गठित समिति का निर्णय अनन्तिम होगा।

उपरोक्त विषय पर संस्थाऐं अपनी रूचि की अभिव्यक्ति के प्रस्ताव एवं 04 प्रशिक्षकों सहित जिला कार्यालय सभागार में दिनांक 02.02.2018 प्रातः 11.00 बजे से चयन एवं समन्वयन समिति के प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थिति रहेंगे। उपरोक्त तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नही किया जायेगा।

अपर जिलाधिकारी/मुख्य अधिशासी अधिकारी,
आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, पिथौरागढ़।

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़।